

फाइल सं. ए.12018/36/2018-लेप

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का, ओडिशा, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का, ओडिशा, में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 या ई-मेल पर भेज सकते हैं।

१२०११९
(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली
दिनांक १२०११९

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खड 3, उप-खड (1) मे प्रकाशनाथ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2019

सा.का.नि. राष्ट्रपति संवाधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आसका, ओडिशा में प्रयोगशाला तकनीशियन, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2001 के अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप किए गए संवर्ग को छोड़कर, एतदद्वारा क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान, आसका ओडिशा में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर भर्ती कि पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ- (1) इन नियमों को क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आसका, ओडिशा प्रयोगशाला तकनीशियन, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारिख से प्रभावी होंगे।

2. पदों कि संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में ये स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ(2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. भर्ती कि पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि- भर्ती कि पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. अनर्हता-कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुबंध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार-जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती हैं, जिसके करणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।

6. बचत इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों कि कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रयोगशाला तकनीशियन	एक पद * (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसंचिवीय	स्तर-5 (रु. 29200 से 92300)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच(केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मामले में उच्चतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक ढील दी जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो	भर्ती कि पद्धति भर्ती सीधे होगी या पोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिय आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
1. एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान या जूलॉजी या वनस्पति विज्ञान के साथ विज्ञान में डिग्री।	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति के द्वारा जिसके नाकाम होने पर सीधी भर्ती द्वारा
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा / सर्टिफिकेट।			

<p>वांछनीय:</p> <p>समान क्षमता में दो साल की न्यूनतम अवधि के लिए अनुभव</p> <p>नोट: अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा छूट दी जा सकती है।</p>			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति:- लेवल -3 ग्रेड में नियमित नियुक्ति के बाद प्रदान की गई 10 साल की सेवा के साथ प्रयोगशाला सहायक से पदोन्नति	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक-आरएलटीआरआई आसका अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी -आरएलटीआरआई आसका -सदस्य 3. वरिष्ठ चिकित्सा/सर्जन अधिकारी आरएलटीआरआई, आसका-सदस्य 4. क्षेत्र में दूसरे केंद्र/राज्य के राजपत्रित अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं